IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या /एस.ई. (एच.क्यू.)/308 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती हैः–

क0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक सं0
1–	095216	अवध विहार योजना, लखनऊ में डिफेन्स एक्सपो के आगन्तुकों हेतु सरयू इन्क्लेव तक पहुँच मार्ग नोड सं0 12–8 के 45.00 मी0 चौड़ी सड़क नोड संख्या 8–3 के 30.00 मी0 चौड़ी सड़क एवं सरयू इन्क्लेव के सामने 18.00 मी0 चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	362.34	29/16/2019–20

1– कार्य की ई–निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए एवं परिषद की वेब साइट पर लोड करते हुए आमंत्रित की जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

4– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नही किया जा रहा है।

5– खण्ड द्वारा लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।

6– उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 15 जनवरी–2020 तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

7– परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

9– प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित बजट में प्राविधान किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(आर0 बी0 यादव)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 6276 /एस.ई. (एच.क्यू.)/308 दिनांकः 05-12-2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–07, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ।
5– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

5-12-19
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

Scanned with CamScanner